सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आधार सुविधा केन्द्रों का निर्माण कार्य का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19 अगस्त, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. श्री आर0 के0 सुधाशु, सचिव, लोक निर्माण विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री हरि ओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री के0 सिंह, एम0डी0, ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड।
9. श्री आर0पी0 उनियाल, जी0एम0, ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा प्रदान किया जाना है, इसी क्रम में राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में आधार सेवा केन्द्र हेतु एक कक्ष का निर्माण किया जाना है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु प्रत्येक विकासखण्ड परिसर में भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना में प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में 16 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल में पक्के कक्ष का निर्माण तथा फर्नीचर एवं इन्टरनेट सेवा सम्पन्न उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत** :–
   - 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2021 में सम्पन्न हुई जिसमें आगणन को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी।
   - 4.2 योजना भारत सरकार से शत–प्रतिशत वित्त पोषित है।
   - 4.3 योजना के अन्तर्गत राज्य के 95 विकास खण्डों में आधार सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे ग्रामीण नागरिकों को आधार पहचान में कोई असुविधा न हो।
   - 4.4 आधार सेवा केन्द्र 16 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के अन्तर्गत 3 x 3 मीटर आकार के कक्ष व बरामदे में पक्के निर्माण के साथ स्थापित किया जाना है जिस हेतु विकासखण्ड वार डी0एस0आर0–2018 की दरें ली गयी है एवं तद्नुसार ही मूल्य सूचकांक लिया गया है।
   - 4.5 आधार सेवा केन्द्र का लागत विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमशः पृष्ठ–2/–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Items	S.I.	NSI
1	Cost of Civil Work (for 95 units)	327.78	-
2	Cost of Furniture, 1 KVA Solar Panel and other items (for 95 units)		148.58
	Centage Charges @8%	26.22	8.40
	Total	**354.00**	**156.98**
	Grand Total	**510.98**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 510.98 लाख

4.6 आगणन में रू0 156.98 लाख लागत के एन0एस0आई0 मदें प्राविधानित है। अतः नॉन शिड्यूल मदें की दरों के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4.7 आधार सेवा केन्द्र में नागरिकों को सुविधाजनक आवागमन एवं जल निकास की सुविधा अवश्य प्रदान की जाय।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा योजना की उपयोगिता के सम्बन्ध में सेवा केन्द्रों जो कि प्रत्येक विकासखण्ड में बनाये जाने है, प्रति यूनिट न्यून लागत के दृष्टिगत गुणवत्तापरक एवं समयबद्धता से कार्य पूर्ण करने हेतु निम्न निर्देश दिये गये :–

राज्य के जिन विकासखण्डों में पुराने भवनों को तोडकर नये भवनों का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, उन विकासखण्डों के सेवा केन्द्रों के सिविल निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने पर प्रशासनिक विभाग विचार कर ले, ताकि Integrated रूप में कार्यवाही हो सकें। (कार्यवाही– ग्रामीण निर्माण विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मितव्ययता के दृष्टिकोण से मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये कि यथासम्भव सेवा केन्द्र का निर्माण ब्लॉक बिल्डिंग के साथ निर्माणाधीन/निर्मित भवन के साथ इस प्रकार किया जाय कि एक दीवार Combined (मध्यस्थ) होने के कारण निर्माण लागत में बचत हो। (कार्यवाही– ग्रामीण निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था)

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.5 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 510.98 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.3 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.4 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.5 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.5 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली—2017 के प्राविधानों पर शत—प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1029/736/सूचना प्रौद्योगिकी/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021—22
देहरादूनः दिनांकः 31, अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

10. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
11. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
12. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)